

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
TRANSPORT DEPARTMENT**

F.6(262)/Pari/Tax/Hqrs/2007 / २७१६

Jaipur, Dated:- ०५/०८/२०१५

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 22 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No.11 of 1951), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Rules, 1951, namely :-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Rajasthan Motor Vehicles Taxation (Fifth Amendment) Rules 2015.
(2) They shall come into force with immediate effect.
2. **Amendment of rule 4.**- The existing proviso to sub-clause (iv) of clause (A) of rule 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Rule, 1951, shall be substituted by the following namely:-

"provided that in case of fleet owner it shall be paid on or before last day of each month"

By Order of the Governor,


(Dr. Manisha Arora),
Joint Secretary to Government

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक:- प.6(262)परि/ कर/ मु./ 2007 / २९९१६

जयपुर, दिनांक:- ०५-११-२०१५

अधेसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. - (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटर यान कराधान (पंचम संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 4 का संशोधन.- राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 के नियम 4 के खण्ड (क) के उप-खण्ड (iv) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"परन्तु फ्लीट स्वामी की दशा में यह प्रत्येक मास के अंतिम दिन या उसके पूर्व संदर्भ किया जायेगा।"

राज्यपाल के आदेश से,

29
(डा. मनीष अरोड़ा)
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- प.6(262)परि/ कर/ मु./ 2007 / २९९१७-३० जयपुर, दिनांक:- ०५-११-२०१५

प्रतिलिपी:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक ०५-११-२०१५, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।

2. निजी सचिव, शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।

3. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान, जयपुर।

4. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।

5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राजस्थान, जयपुर।

6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि, राजस्थान, जयपुर।

7. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।

8. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।

9. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।

10. समर्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर।

11. श्री संजय सिंघल, SA को विभाग की वेबसाईट की अपडेटिंग हेतु।

12. समर्त प्रादेशिक/ अतिरिक्त प्रादेशिक/ जिला परिवहन अधिकारी।

13. समर्त प्रभारी, कर संग्रह केन्द्र, परिवहन विभाग, राजस्थान।

14. रक्षित पत्रावली।

29